उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–15/2020–21

विजय तिवारी

बनाम्

सुरेश प्रसाद भगत

–: आदेश :–

दिनांक 14/4/23

उत्तरवादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता विजय तिवारी, पे0–केदार तिवारी, सा0–लोहडिंया बाजार, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–63/2016–17 के आदेश दिनांक–17.02.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–63/2016–17 के आदेश दिनांक–17.02.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–लोहडिंया बाजार नं0–46, बसौड़ी पेज नं0–153 एवं 154 के अंदर दाग नं0–73 पर 02 धुर, जो करीब 18/1/2 फीट लम्बा एवं 04 फीट चौड़ा जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 सुरेश प्रसाद भगत ने मौजा–लोहडिंया बाजार नं0–46, बसौड़ी पेज सं0–153 एवं 154 के दाग नं0–73 रकवा 18 फीट लम्बा एवं 04 फीट चौड़ा जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन दाखिल आवेदन में ही उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा स्वीकार किया गया था कि अपील वादगत जमीन बसौड़ी जमीन है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के प्रावधानों के अनुसार केवल जमाबंदी की जमीन से उच्छेद किया जाता है। हालांकि अपील वादगत जमीन जमाबंदी जमीन नहीं है। लेकिन फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा उक्त बसौड़ी खाता की जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–01 की ओर से प्रत्युत्तर आवेदन दाखिल किया गया है। प्रत्युत्तर आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा–लोहडिंया बाजार नं0 –46, बसौड़ी पेज नं0–153 एवं 154 दाग नं0–73 की जमीन गत गेंजर सर्वे पर्चा में शीतल भगत वो जगरनाथ भगत, पे0–भगवान भगत के नाम से दर्ज है। उक्त दाग नं0 के अंदर कुछ भाग पर पक्का मकान बना हुआ है एवं उक्त दाग नं0 के रकवा 18 फीट लम्बा एवं 04 फीट चौड़ा जमीन की अपीलकर्त्ता के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा किया है। अपीलकर्त्ता न तो उक्त खाता रैयत के वंशज है और न ही उनके पास कोई कागजात है। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि प्रश्नगत जमीन बसौड़ी खाता की जमीन है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लोहडिंया बाजार नं0–46, बसौड़ी पेज सं0–153 एवं 154 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शीतल भगत वो जगरनाथ भगत, पेशरान–भवन भगत किस्म रैयत बसौड़ी कहकर दर्ज है। उक्त खाता के अन्तर्गत दाग नं0–73 की जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 रैयती जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। चूँकि अपील वाद जमीन बसौड़ी खाता की जमीन है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–63/16–17 के आदेश दिनांक–17.02.2020 को निरस्त किया जाता है एवं अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को पुनर्वापस हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:11:30 +05:30
Location: 172.21.32.1

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।